



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय  
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya  
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)  
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)  
नेक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

सुशील पखीडे

सहायक कुलसचिव/कार्यकारी कुलसचिव

Sushil Pakhide

Assistant Registrar/ Acting Registrar

दूरभाष/Phone : +91-7152-255707

फैक्स/Fax: + 91-7152-247602

क्रमांक : 003 / 2003 / का.आ. / 02-62 / 2022

दिनांक : 06.05.2022

## कार्यालयादेश

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरांत विश्वविद्यालय के अध्यादेश 9 (Orinance 9) के बिंदु क्रमांक 9.6 के (Under sub-section (p) of the Act and Statute no. 29) अनुसार अनुशासन समिति का निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता है :

1. प्रतिकुलपति : प्रो. चंद्रकांत रागीट
2. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण
3. कुलानुशासक
4. विभिन्न संकायों के अधिष्ठाता
5. छात्रावास अधीक्षक : जिनके छात्रावास का विषय है  
आमंत्रित
6. डॉ. जयंत उपाध्याय, मुख्य छात्रावास अधीक्षक
7. प्रो. प्रीति सागर, प्रोफेसर, हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग
8. अध्यादेश 12 (Ordinance 12, Under Section 18 of the Act) के बिंदु 5 के अनुसार कुलानुशासक अनुशासन समिति के सदस्य सचिव होंगे और वे समिति की बैठक आयोजित करेंगे.

इसे सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

*Sushil*  
6/5/22  
(कुलसचिव)

प्रति (ईमेल द्वारा) : सभी संबंधित

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा) :

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति द्वय कार्यालय
3. समस्त अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष/केंद्र निदेशक/कार्यालय प्रमुख
4. कुलानुशासक
5. सभी छात्रावास अधीक्षक
6. वित्त अधिकारी
7. आंतरिक गुणवत्ता सुनिश्चयन प्रकोष्ठ
8. वित्त विभाग
9. विश्वविद्यालय वेबसाइट
10. संबंधित पत्रावली